Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अजमेर मे अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर 50,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 16 फरवरी 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **बाबूलाल, अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर** को परिवादी से सम्बन्धित फर्म को पूर्व मे दिये गये वर्क ऑडर की एवज में **2,00,000/- रूपये** रिश्वत की मांग की जाकर जाकर आज दिनांक 16.02..2026 को रिश्वत राशि 2,00,000/- रूपये में से परिवादी से रिश्वत राशि **50,000/- रूपये** प्राप्त किये जो रिश्वत राशि बरामद की जाकर रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी. बी. अजमेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर द्वारा परिवादी की फर्म को जारी किये गये वर्क ऑर्डर देने की एवज में राशि 2,10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। दिनांक 11.02.2026 को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें 2,00,000/- रूपये रिश्वत दिया जाना तय हुआ।

जिस पर एसीबी अजमेर रेन्ज के **पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अजमेर की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना भाटी** के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरां बेनीवाल** एंव टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर को 50,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुये पकडा गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन एवं **महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।